रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 52] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 29, 2018/माघ 9, 1939
No. 52] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 29, 2018/MAGHA 9, 1939

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 2018

सा.का.नि. 97(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का नाम पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन नियम, 2018 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 में, अनुसूची-I में,-

(क) "पेट्रोल या किरोसीन चालित जनरेटर सेटों के लिए ध्वनि सीमा" से संबंधित क्रम संख्या 91 में, "प्रमाणन निकाय" से संबंधित पैराग्राफ 8 में, मद (6) के पश्चात निम्नलिखित मद अन्तर्विष्ट की जाएगी, अर्थात् :-

"(7) राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, नई दिल्ली";

(ख) "डीजल चालित जनरेटर सेटों के लिए ध्वनि सीमा" से संबंधित क्रम संख्या 94 में, "पहली जुलाई, 2003 को या इसके बाद निर्मित डीजी सेटों (1000 केवीए तक) के लिए ध्वनि की सीमाओं" से संबंधित पैराग्राफ 3 में, "प्रमाणन के लिए अधिकृत अभिकरणों" से संबंधित उप- पैराग्राफ 3.6 में, मद (vi) के पश्चात्, निम्नलिखित मद अन्तर्विष्ट की जाएगी, अर्थात् :-

"(vii) राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला";

(ग) "समर्पित प्राकृतिक गैस (एनजी) या तरल पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) चालित जेनसेट" से संबंधित क्रम संख्या 95क में, शीर्षक "ख. ध्वनि सीमित" के अंतर्गत, पैराग्राफ 3 में, मद (च) के पश्चात्, निम्नलिखित मद अन्तर्विष्ट की जाएगी, अर्थात् :-

"(छ) राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, नई दिल्ली";

(घ) "पेट्रोल और प्राकृतिक गैस (एनजी) या पेट्रोल और तरल पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) चालित जेनसेट" से संबंधित क्रम संख्या 95ख में, शीर्षक "ख. ध्वनि सीमाएं" के अंतर्गत, पैराग्राफ 2 में, मद (च) के पश्चात, निम्नलिखित मद अन्तर्विष्ट की जाएगी, अर्थात् :-

"(छ) राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, नई दिल्ली";

(ड.) "डीजल और प्राकृतिक गैस (एनजी) या डीजल और तरल पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) चालित जेनसेट" से संबंधित क्रम संख्या 95ग में, शीर्षक "ख. ध्वनि सीमाएं" के अंतर्गत, पैराग्राफ 3 में, मद (च) के पश्चात्, निम्नलिखित मद अन्तर्विष्ट की जाएगी, अर्थात् :-

"(छ) राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, नई दिल्ली";

[फा.सं.क्यू-15017/5/2012-सीपीडब्ल्यू]

डा. ए. सेन्थिल वेल, वैज्ञानिक 'जी'

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में का.आ. 844 (अ) दिनांक 19 नवम्बर,1986 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अन्तिम बार सा.का.नि. 1607(अ) दिनांक 29 दिसंबर, 2017 के द्वारा संशोधित किये गए थे।

IndiaCode

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th January, 2018

G.S.R. 97(E).— In exercise of the powers conferred by sections 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Environment (Protection) Rules, 1986, namely:-

1. (1) These rules may be called the Environment (Protection) Amendment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Environment (Protection) Rules, 1986, in Schedule-I,-

(a) in serial numbers 91 relating to "Noise Limit for Generator Sets run with Petrol or Kerosene", in Paragraph 8 relating to "Certification body", after item (6), the following item shall be inserted, namely:-

"(7) National Physical Laboratory, New Delhi.";

(b) in serial numbers 94 relating to "Noise Limit for Generator Sets run with Diesel", in paragraph 3 relating to "Limits of Noise for DG Sets (Upto 1000 KVA) manufactured on or after the 1st July, 2003", in sub-paragraph 3.6 relating to "Authorised agencies for certification", after item (vi), the following item shall be inserted, namely:-

"(vii) National Physical Laboratory.";

(c) in serial number 95A relating to "Genset run on dedicated Natural Gas(NG) or Liquid Petroleum Gas (LPG)", under the heading "B. Noise Limited", in paragraph 3, after item (f), the following item shall be inserted, namely:-

"(g)'National Physical Laboratory, New Delhi.";

(d) in serial number 95 B relating to "Genset run on Petrol and Natural Gas (NG) or Petrol and Liquid Petroleum Gas(LPG)", under the heading "B. Noise Limits", in paragraph 2, after item (f), the following item shall be inserted, namely:-

"(g)'National Physical Laboratory, New Delhi.";

(e) in serial number 95 C relating to "Genset run on Diesel and Natural Gas (NG) or Diesel and Liquid Petroleum Gas (LPG)", under the heading "B. Noise Limits", in paragraph 3, after item (f), the following item shall be inserted, namely:-

"(g)'National Physical Laboratory, New Delhi ".

[F. NO. Q-15017/5/2012-CPW]

Dr. A. SENTHIL VEL, Scientist 'G'

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number S.O. 844 (E), dated the 19th November, 1986 and last amended vide notification number G.S.R. 1607(E), dated the 29th December, 2017.

IndiaCode

RAKESH SUKUL
Digitally signed by RAKESH SUKUL
Date: 2018.01.30 19:45:50 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.